संख्या-448/2022/ 448/2022/001-3-9-2017- TC-4

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासना

सेवा में,

आयुक्त/निदेशक धर्मार्थ कार्य विभाग,
वाराणसी मण्डल,
धर्मार्थ कार्य विभाग, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ: दिनांक 3 अगस्त, 2022

विषय:- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अन्तर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र हेतु राजस्व लेखा मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप कुलसचिव (विकास), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्र सं0-आर/डेव/डी/वैदिक विज्ञान केन्द्र/2022-23/46969 दिनांक 06.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2-इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के अन्तर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 की राजस्व लेखा मद के 20-गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 229.00 लाख (रू0 दो करोड़ उन्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक पूर्णरूपेण कर लिया जाए और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित कर दिया जाए।

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्धकराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक 2250001010900 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022- - 231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-448/2022//001-3-9-2017- TC-4, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज
(2) आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
(3) जिलाधिकारी, वाराणसी।
(4) उप कुलसचिव (विकास), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
(5) समन्वयक, वैदिक विज्ञान केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
(7) वित्त नियंत्रक, आयुक्त, वाराणसी मण्डल कार्यालय, वाराणसी।
(8) सामान्य प्रशासन अनुभाग/वित्त व्यय नियंत्रण-5/गार्ड फाइल)

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
उप सचिवा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।